

प्रेषक,  
नवीन चन्द्र त्रिपाठी,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

497/सा०-1  
दि० 05-12-2014

सेवा में,  
निदेशक,  
पशुपालन विभाग,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 26 नवम्बर, 2014

विषय:-बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन वर्ष 2013-14 में शासनादेश संख्या-35 बीपी (1)/35-1-2014, दिनांक 04 मार्च, 2014 के माध्यम से बकरी इकाइयों की स्थापना परियोजना की रू. 8.33 करोड़ (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता रू 7.50 करोड़ + लाभार्थी अंश रू 0.83 करोड़) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू. 35.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू 25.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी और शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-108 बीपी/35-1-2014 दिनांक 08 मई, 2014 द्वारा स्वीकृत परियोजना हेतु पूर्व में व्यय की गयी धनराशि को समायोजित करते हुए अनुमोदित लागत के सापेक्ष रू. 10.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। एतद्वारा अनुमोदित लागत के सापेक्ष वर्ष 2014-15 में विभाग द्वारा इंगित अतिरिक्त आवश्यकता के अनुरूप रू. 1.94 करोड़ (रूपये एक करोड़ चौरान्चे लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- संदर्भित शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।
- 2- इस शासनादेश से उक्त कार्य की अनुमोदित लागत के सापेक्ष धनराशि का आवंटन किया गया है। कार्यों को मानको के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
- 3- लाभार्थी अंश के रूप में अपेक्षित धनराशि विभाग द्वारा समन्वय करते हुए जुटाई जायेगी।
- 4- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय, महालेखाकार, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात् 30 जून, 2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
- 5- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व पशुधन विभाग का होगा। तदनुसार कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पूर्व निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायेगी।

S74/STIDAM/05/12  
सा०-1/35-1-2014

10/12/14

सा०-1/35-1-2014


4/12/2014

न.स.स. (35-1)

2- स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट के अनुदान संख्या-40 के अंतर्गत लेखाशीर्ष-2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम आयोजनागत-02-पिछड़े क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं-10-बकरी इकाईयों की स्थापना-27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या बी-1-2457/दस-2014-231/ 2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,


  
(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)  
विशेष सचिव।

**संख्या: २१० बीपी(1) / 35-1-2014, तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
- 2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
- 3- प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग।
- 4- प्रमुख सचिव, वित्त।
- 5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
- 6- मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूटधाम।
- 7- जिलाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
- 8- मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
- 9- कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट/लखनऊ।
- 10- गार्ड फाईल।
- 11- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5
- 12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।

आज्ञा से,

  
(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)  
विशेष सचिव।